

दत्तकग्रहण - जीवनभर का संबन्ध

मैं तुम्हें अपनाना चाहती थी, हालांकि कभी तुम्हें देखना नहीं और अब जब तुम
हमारे जीवन में आये तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल गई ।

"हमारा परिवार पूर्ण हुआ"

मुख्य तत्व :-

- परिवार है सदा के लिए
- 1990 में कारा का गठन
- यूएनसीआरसी
- हेग घोषणापत्र 1993
- बाल न्याय कानून 2000
(2006 में संशोधन)
- संबद्ध दत्तकग्रहण एजेंसियां
- देश के भीतर दत्तकग्रहण
- अंतर्देशीय दत्तकग्रहण
- संपर्क विवरण



केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला और बाल विकास मंत्रालय

CARA

परिवार है सदा के लिए...

क्या आप अपने परिवार को खुशियों की सौगात नहीं देना चाहेंगे?

दत्तकग्रहण यानी बच्चे को गोद लेना एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। पोषण की एक निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से गोद लिए गए बच्चे और गोद लेने वाले अभिभावक के बीच प्रेम और समझ की मजबूती आती है। दत्तकग्रहण न सिर्फ एक बच्चे को संपूर्ण मनुष्य में विकसित होने के सारे अवसर देता है, बल्कि गोद लेने वाले अभिभावक को अभिभावकत्व के सबसे खूबसूरत स्वरूप का अनुभव कराता है।

माता-पिता और बच्चे के बीच प्रेम का बंधन पोषण का परिणाम होता है, न कि सिर्फ जन्म देने से यह बंधन जुड़ जाता है।

दत्तकग्रहण इस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे को एक परिवार के माहौल में बड़े होने का अवसर मिल सके जहां प्रेम और लगाव हो। एक बच्चा जब अपने परिवार से स्थायी रूप से वंचित होता है, तो उसके लिए गोद लेने वाला परिवार सबसे उपयुक्त माना जाता है। बच्चे के भले और विकास के लिए परिवार ही सबसे प्राकृतिक वातावरण मुहैया करा सकता है। माता-पिता के ऊपर बच्चे को पालने-पोसने और उसके विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

भारत सरकार ऐसे बच्चों के लिए दत्तकग्रहण को ही सर्वश्रेष्ठ गैर-सांस्थानिक मदद के रूप मानती है जो अनाथ हों, परित्यक्त हों अथवा जिन्हें बेघर छोड़ दिया गया हो और विभिन्न कारणों से जिनके जैविक माता-पिता से उनके अलगाव को टालना संभव न हो। इसी की संवैधानिक अनिवार्यता के मद्देनजर भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है।

1990 में कारा का गठन

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है जो देश में दत्तकग्रहण के मामलों में केंद्रीय इकाईकी भूमिका निभाती है। कारा की स्थापना एक संकल्प पारित कर तत्कालीन कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जून 1990 को की गई थी। अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के नियमन के लिए इसके बाद कल्याण मंत्रालय ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की अध्यक्षता में एक कार्य बल समिति का गठन किया जिसने अपनी दिशानिर्देशक सिफारिशें 7 अगस्त 1993 को मंत्रालय को दीं। अपनी सिफारिशों में समिति ने कहा कि कारा को स्वायत्तशासी दर्जा दिया जाना चाहिए और उसे अंतर्देशीय दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।



केंद्रीय कैबिनेट के 2 जुलाई 1998 को लिए गए एक फैसले के मुताबिक तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कारा को 18-3-1999 को स्वायत्त दर्जा दे दिया। इसके लिए सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के अंतर्गत इसे एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत कर दिया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 17-7-2003 को इसे एक केंद्रीय अधिकरण के रूप में मान्यता दे डाली जो अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के संदर्भ में बाल संरक्षण और सहयोग पर हेग घोषणापत्र (1993) के अनुरूप था। इसके बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय को 'दत्तकग्रहण और बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2000' के अंतर्गत आने वाले विषयों को देखने के लिए अधिकृत कर दिया गया जो इस संदर्भ में कार्यों के आवंटन संबंधी भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2006 को जारी एक विज्ञापित कें अनुरूप था।

प्रमुख उद्देश्य

कारा का प्रमुख उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त और छोड़ दिए गए बच्चों के दत्तकग्रहण को देश में बढ़ावा देना और अंतर्देशीय दत्तकग्रहण का नियमन करना है।

यूएनसीआरसी

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकारों पर 20 नवंबर 1989 को पारित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित घोषणापत्र इस बात को मान्यता देता है कि प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक वातावरण में बड़े होने का अधिकार है जहां प्रेम, आनंद और परस्पर समझदारी का माहौल हो तथा किसी भी बच्चे को अपनी शारीरिक या मानसिक अपरिपक्वता के चलते जन्म से पहले और बाद में विशेष कानूनी संरक्षण समेत देखभाल की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि बच्चों से जुड़ी कोई भी कार्रवाई, चाहे वह सरकारी या निजी, कल्याणकारी एजेंसियों द्वारा उठाई गई हो अथवा न्यायालय, प्रशासनिक और विधायी इकाइयों द्वारा, बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित में होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकारों पर 1989 का घोषणापत्र इस बात की ताकीद करता है कि परिवार दरअसल समाज की एक बुनियादी इकाई है और खासकर बच्चों समेत अपने हर सदस्य के विकास और भलाई के लिए प्राकृतिक वातावरण मुहैया कराता है।

हेग घोषणापत्र 1993

'अंतर्देशीय दत्तकग्रहण पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बाल संरक्षण (1993)' के हेग घोषणापत्र पर भारत ने 9 जनवरी 2003 को दस्तखत किए थे और 6 जून 2003 को इसका अनुमोदन किया जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के लिए भारतीय बच्चों का संरक्षण और इस पर



CARA

